



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/ LAND-44/44/2025-FOREST HQ /381136

as per e-signature

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:— Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 66.02 ha (57 ha mining lease and 9.02 ha approach road of forest land for Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power&Ispat Ltd. in Narayanpur district of Chhattisgarh- regarding.

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.No. 8-10/2024-FC (E-239871) दिनांक 17.02.2026

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का अनुरोध है, जिसके माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.02.2026 द्वारा प्रकरण में 06 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

उक्त के अनुक्रम में चाही गई वांछित जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
i	The State Government was asked to clarify whether a valid Letter of Intent (LoI) exists as on date in terms of Section 10-A(2)(c) of the MMDR Act, 2015, and whether any confirmation has been obtained from the Ministry of Mines regarding its continued validity, particularly as the prescribed time limit for obtaining clearances had expired. In response, the State Government has submitted that the issue concerning validity under Section 10-A(2)(c) is presently sub judice before the Hon'ble High Court of New Delhi. It has been stated that the Court, in the applicant's case, directed that the cut-off date of 11.01.2017 shall not come in the way of granting relief, and therefore the LoI has not been invalidated. However, the copy of the Hon'ble Court order is not found	<p>The issue of validity of Section 10-A(2)(c) is pending consideration in the Hon'ble High Court, New Delhi. The court in the instant case of the applicant, the court has directed that cut-off date of 11 January 2017 would not come in the way of granting relief to the applicant. As such the LOI is not invalidated in view of the specific directions issued by the Hon'ble Court granting the reliefs of processing the case further.</p> <p>Copy of the directions issued by the Hon'ble Court is enclosed herewith as Annexuer-I. and also uploaded in the online portal.</p> <p>The approved Mining Plan w.r.t Chhotedongar Mines is valid for 5years w.e.f. the date of execution of Mining Lease deed as per Clause No. (xv) of it's Approval Letter vide letter no.NPR/FE/MPLN-1159/NGP, Dated-21-03-2016.</p> <p>Further as per and Mineral Concession rule 17(1) of 2016 the validity of Mining Plan is effective from the date of execution of Mining Lease for a period of 5years.</p> <p>[Quote- "The mining plan once approved shall be subject to review and updation at an interval of every five years starting from the date of execution of the duly executed mining lease deed."]</p>

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	पालन प्रतिवेदन														
	<p>uploaded along with the reply submitted by the State Govt. on the PARIVESH portal. Further, the State Government has forwarded the reply submitted by the User Agency without incorporating their comments. Accordingly, the State Govt. shall provide comments on the validity of the LoI and Mining Plan after examining the Hon'ble Court orders and approved mining plan.</p>	<p>The Copy of Approval Letter of Mining Plan and relevant page of Mineral Concession rule 17(1) of 2016 is attached as Annexure – II(A) & Annexure-II(B) respectively. So the submitted Mining Plan is Valid.</p>														
ii.	<p>As per guidelines 7.8(i), the State Government should also fully justify the necessity of opening new mine for along with the details of all other mining leases for iron ore in the state along with their capacity and average annual production and projected future requirements.</p>	<p>The existing operating Iron ore mines in the state of Chhattisgarh and production achieved during the year 2021-22 to 2023-24 as per Indian Mineral Yearbook 2024 published by IBM, Government of India is given below :</p> <table border="1" data-bbox="780 768 1385 947"> <thead> <tr> <th>Mineral</th> <th>Year</th> <th>No of Mines</th> <th>Quantity (Millon tonne)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Iron Ore</td> <td>2021-22</td> <td>21</td> <td>41.33</td> </tr> <tr> <td>2022-23</td> <td>20</td> <td>42.48</td> </tr> <tr> <td>2023-24</td> <td>21</td> <td>46.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>copy of relevent pages of Indian Mineral Yearbook 2024 is enclosed as Annexure-III</p> <p>Further the as per the "National Mineral Policy 2019"</p> <p>Under the 'Make in India' initiative, the Government of India aims to increase the share of the manufacturing sector in the economy. This national initiative requires a holistic development of the mineral sector on a sustainable basis in order to fulfil the demand of downstream industries dependent on mineral/ore supply.</p> <p>The outcomes expected from these policy proposals are, an increase in the production of MCDR (Mineral Conservation and Development Rules,2017) minerals (in value terms) by 200 % in 7 years; and on the other hand reduce the trade deficit in minerals sector by 50% in 7 years.</p> <p>So opening of new mine like chhotedonagr Iron ore mine is essential to achieved the target prescribed in the National Mineral Policy 2019</p> <p>It is important to note that M/s Shri Bajrang Power and Ispat Limited (SBPIL) is having its registered office at Urla Growth centre, Raipur in State of Chhattisgarh and is one of the leading steel producer in the State of Chhattisgarh having total requirement of Iron Ore in the tune of 2.00 MTPA but there is only one captive Iron Ore Mines namely Shri Bajrang Iron Ore Mine located at East Bhanupratappur division, of North Bastar Kanker district, CG having production capacity of 1.00 MTPA only (Relevant page of Review of Mining Plan approved by IBM is enclosed as Annexure-IV) and average annual production achieved @ 0.80 MTPA during last 5 years</p>	Mineral	Year	No of Mines	Quantity (Millon tonne)	Iron Ore	2021-22	21	41.33	2022-23	20	42.48	2023-24	21	46.04
Mineral	Year	No of Mines	Quantity (Millon tonne)													
Iron Ore	2021-22	21	41.33													
	2022-23	20	42.48													
	2023-24	21	46.04													

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	पालन प्रतिवेदन															
		because of it'svery low grade Iron Ore deposit & less Reserve having life of mine only 3 years. The lesser availability of raw material particularly iron ore (about 40% only) hampers the targeted finished steel production and development of the state & nation. Hence to fulfil the requirement of raw material particularly Iron Ore @ 2.00 MTPA, this Chhotedongar Iron Ore Mine is proposed for diversion.															
iii.	The State Government was asked to submit the CA scheme along with the site suitability certificates for CA land in Village Tatijharia (12.621 ha) and Village Bata (18.503 ha). In response, it has been stated that copies of the Site Suitability Certificates along with the CA scheme are enclosed. However, the said documents are not found uploaded or enclosed with the reply submitted by the State Government on the PARIVESH portal. Hence, the State Government shall upload the Site Suitability certificate (SN 13(v) of part II) alongwith CA scheme (SN 13(ii) of part II) for 12.621 ha and 18.503 ha.	The CA scheme along with the site suitability certificates for CA land in Village Tatijharia (12.621 ha) and Village Bata (18.503 ha). have been enclosed (Annexure-V) and uploaded on the PARIVESH portal.															
iv.	As per the DSS Analysis of the KML file, the area of the Mine lease is 52.9 ha and the KML file area of an Approach Road is found 9 ha. Thus, total area of the proposed forest land is found 61.9 ha whereas the instant proposal is for seeking diversion of 66.02 ha forest land. Clarifications in this regard may be submitted.	The uploaded kml file of the mining lease has been prepared after DGPS survey based on the co-ordinate provided in the LOI. and in accordance to the LOI co-ordinates, the ML area found to be 52.9 Ha. The revised kml file of the approach road of 9.02 Ha. has been uploaded. so total proposed diversion of forest land is 61.92 Ha. instead of 66.02 Ha.															
v.	As per DSS analysis of the KML files submitted, the Mine lease is found to be 52.9 ha instead of 57 ha. Necessary correction needs to be done.	The uploded kml file of the mining lease has been prepared after DGPS survey based on the co-ordinate provided in the LOI. and in accordance to the LOI co-ordinates, the ML area found to be 52.9 Ha. comprising the following boundary co-ordinates:- <table border="1" data-bbox="783 1682 1329 1845"> <thead> <tr> <th>Point</th> <th>Longitude</th> <th>Latitude</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>81⁰ 16' 58.6"</td> <td>19⁰ 24' 43.9"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>81⁰ 17' 12.5"</td> <td>19⁰ 24' 51.4"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>81⁰ 17' 31.9"</td> <td>19⁰ 24' 20.4"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>81⁰ 17' 17.6"</td> <td>19⁰ 24' 12.5"</td> </tr> </tbody> </table> <p>So proposed diversion of forest land of the mining lease is 52.9 Ha. instead of 57.0 Ha.</p>	Point	Longitude	Latitude	A	81 ⁰ 16' 58.6"	19 ⁰ 24' 43.9"	B	81 ⁰ 17' 12.5"	19 ⁰ 24' 51.4"	C	81 ⁰ 17' 31.9"	19 ⁰ 24' 20.4"	D	81 ⁰ 17' 17.6"	19 ⁰ 24' 12.5"
Point	Longitude	Latitude															
A	81 ⁰ 16' 58.6"	19 ⁰ 24' 43.9"															
B	81 ⁰ 17' 12.5"	19 ⁰ 24' 51.4"															
C	81 ⁰ 17' 31.9"	19 ⁰ 24' 20.4"															
D	81 ⁰ 17' 17.6"	19 ⁰ 24' 12.5"															
vi.	Component-wise break up in kml file needs to be uploaded in part I, as per	The desired KML file containing component wise utilization of the proposed forest land is uploaded in the PARIVESH portal. The component wise															

क्र.	अतिरिक्त बिन्दु	पालन प्रतिवेदन		
		SI No	Activity	Area (HA)
	approved mining plan along with uploading break-up of 57 ha forest land under SN B-2.4: Component-wise break up in part I of PARIVESH 1.0.	utilization of the proposed forest land is as follows:-		
		i	Quarry	6.930
		ii	Dump	2.698
		iii	Road within ML area	2.480
		iv	Infrastructure	0.310
		v	Plantation	2.35
		vi	SZ(Undisturbed)	2.35
			Sub Total	17.118
		vii	Un-Explored area (un-disturbed)	35.782
			Total	52.90

प्रकरण में छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.12.2014 (LOI) में दर्शित co-ordinate अनुसार खनन पट्टा रकबा 52.90 हे. पाया गया एवं पहुंच मार्ग हेतु रकबा 9.02 हे. इस प्रकार कुल रकबा 61.92 हे. वनक्षेत्र का व्यवर्तन किया जाना प्रस्तावित है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई अतिरिक्त जानकारी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
SUNIL KUMAR MISHRA
Date: 20-02-2026
17:20:10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.)अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/ LAND-44/44/2025-FOREST HQ **1381137** as per e-signature
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- वन महानिरीक्षक, (एफ.सी. डिवीजन) भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003.

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

- मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड रायपुर, छ.ग.।



\$~21 to 23

* **IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**

+ **W.P.(C) 260/2017**

M/S RUNGTA SONS PRIVATE LIMITED Petitioner

Through Mr. Rajiv Nayar, Sr. Advocate with Mr. Sandeep D. Das, Kanu Aggarwal and Mr. Ankit Mangla, Advocates.

versus

UNION OF INDIA & ORS. Respondents

Through Mr. Jasmeet Singh, Advocate for R 1 and 2.

And

WP(C) 261/2017

M/S RUNGTA MINES LIMITED Petitioner

Through Mr. J. K. Das, Sr. Advocate with Mr. Sandeep D. Das, Kanu Aggarwal and Mr. Ankit Mangla, Advocates.

versus

UNION OF INDIA & ORS. Respondents

Through Mr. Jasmeet Singh, Advocate for R 1 and 2.

And

WP(C) 262/2017

M/S SHRI BAJRANG POWER AND ISPAT LIMITED

.....Petitioner

Through Mr. Gopal Jain, Sr. Advocate with Mr. Naveen Kumar, Sudeep Dey, Nishi Kant, Advocates.



versus

UNION OF INDIA & ORS.

....Respondents

Through Mr. Jasmeet Singh, Advocate for R 1 and 2.

CORAM:

HON'BLE MS. JUSTICE INDIRA BANERJEE

HON'BLE MR. JUSTICE ANIL KUMAR CHAWLA

ORDER

%

11.01.2017

CM Appln. Nos.1242-43/2017 in W.P.(C) 260/2017

CM Appln. No.1245-46/2017 in W.P.(C) 261/2017

CM Appln. No.1248/2017 in W.P.(C) 262/2017

Exemption allowed, subject to all just exceptions.

The applications are disposed off.

W.P.(C) 260/2017 & CM Appln. No.1241/2017

W.P.(C) 261/2017 & CM Appln. No.1244/2017

W.P.(C) 262/2017 & CM Appln. No.1247/2017

Mr. Jasmeet Singh, Advocate accepts notice on behalf of respondent Nos.1 and 2.

Notice be served on the respondent No.3, returnable on 07.03.2017.

Counter-affidavit(s) be filed by the respondents within four weeks from today. Rejoinder thereto be filed within two weeks thereafter.

List on 07.03.2017 before the Roster Bench.

In view of the interim order of the Supreme Court passed on 6th January, 2017 in **SLP No.36578/2016 (State of Odisha v. M/s Mesco Steel Ltd. & Ors.)** whereby the Supreme Court made it clear that the cut-off date of 11th January, 2017 would not come in the way of granting relief to the



respondents in the SLP, if it became necessary, we pass a similar interim order directing that the cut-off date of 11th January, 2017 will not come in the way of granting relief to the petitioners, if it becomes necessary.

A copy of this order be given *dasti* under the signatures of the Court Master.

INDIRA BANERJEE, J

ANIL KUMAR CHAWLA, J

JANUARY 11, 2017
dr



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES
नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय
NAGPUR REGIONAL OFFICE

छतरी गंजलि,
दी. एच. सी. ब्लॉक,
इंदिरा भवन
निजिल लाइन्स
नागपुर - 440 001
6th Floor, 'B' & 'C' Block
Indira Bhavan, Civil Lines
Nagpur--440 001
दूरभाष/Telephone 2562794,
2565089 (Tel/fax)

No. NPR/FE/MPLN-1159/NGP

Dated- 21/03/2016

To

✓ M/s Shri Bajrang Power & Ispat Limited
Village-Borjhara,
Urla-Guma Road,
Urla, Raipur-493221
Chhattisgarh



Subject: Approval of Mining Plan along with Progressive Mine Closure Plan in respect of applied area of **Iron Ore** mining lease of M/S Shri Bajrang Power & Ispat Limited over an area of 57.00 hectare situated in Village **Chhote Dongar Forest Range** in Tehsil-Narayanpur District-Narayanpur of Chhattisgarh State submitted for grant of mining lease under Rule 22(4) of Mineral Concession Rules, 1960.

- References: i) Your letter number SBPIL/2015-16/067, dated 27/04/2015.
ii) This office letter of even number, dated 29/10/2015.
iii) Your RQP's letter number GSPL/SBPIL/15-16/092, dated 14/12/2015.
iv) This office letter of even number, dated 12/01/2016.
v) Your RQP's letter number GSPL/SBPIL/15-16/098, dated 08/03/2016.

Sir,

In exercise of the power conferred by the Clause (b) of Sub-section (2) of Section 5 of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 read with Government of India Order No. S.O.445 (E) dated 28.4.1987, I hereby **APPROVE** the above said Mining Plan along with Progressive Mine Closure Plan (PMCP). This **approval** is subject to the following conditions: -

- i) The Mining Plan is approved without prejudice to any other laws applicable to the mine area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority and without prejudice to any other order or direction from any court of competent jurisdiction
- ii) The proposals shown on the plates and/or given in the document is based on the lease map /sketch submitted by the applicant/ lessee and is applicable from the date of approval.
- iii) It is clarified that this approval of aforesaid Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provisions of the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 or the Mineral Concession Rules, 1960 or any other laws including Forest (Conservation) Act, 1980, Environment Protection Act, 1986 or rules made there under, Mines Act, 1952 and Rule & Regulation made there under.

- iv) The Indian Bureau of Mines has not undertaken verification of the mining lease boundary on the ground and does not undertake any responsibilities regarding correctness of the boundaries of the lease/ applied area shown on the ground with reference to lease map & other plans furnished by the applicant/lessee, as it is the responsibility of the State Government & lessee under Rule 33 of Mineral Concession Rules, 1960.
- v) At any stage, if it is observed that the information furnished, data incorporated in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.
- vi) This approval of Mining Plan under Rule 22 of MCR1960 is subject to the provision of Forest (Conservation) Act, 1980, Forest Conservation Rules 1981, and other relevant statutes, orders and guidelines as may be applicable to the lease area from time to time.
- vii) The provisions of the Mines Act, 1952 and Rules and Regulations made there under including submission of notice of opening, appointment of manager and other statutory officials as required by the Mines Act, 1952 shall be complied with.
- viii) The execution of the said Mining Plan shall be subjected to vacations of prohibitory orders/notices, if any.
- ix) If anything found to be concealed as required by the Mines Act, 1952 in the contents of the above said Mining Plan and the proposal for rectification has not been made, the approval shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect.
- x) This approval of proposed mining operations and associated activities is restricted to the mining lease area only. The mining lease area as shown on the statutory plans under rule 28 of Mineral Conservation and Development Rules 1988, is by the lessee/ RQP/ applicant and Indian Bureau of Mines has not taken verification of mining lease boundary on the ground.
- xi) Yearly report as required under Rule 23E(2) of MCDR, 1988 setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved Progressive Mine Closure Plan and, if there is any deviation, reasons thereof shall be submitted before 1st July of every year to the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur after opening of the mine.
- xii) Your attention is invited to the Supreme Court interim order in W. P.(C) No. 202 dated 12.12.1996 for compliance. The approval of above said Mining Plan is therefore, issued without prejudice to and is subject to the said directions of the Supreme Court as applicable.
- xiii) The details of the grant of mining lease by the State Government, whenever such an order is passed, may be intimated to the Regional Controller of Mines, Nagpur Region, Indian Bureau of Mines, Nagpur.

- xiv) The lessee will submit the financial assurance to the Regional Controller of Mines, Nagpur Region, Indian Bureau of Mines, Nagpur before executing the mining lease deed as required under rule 23F(3) of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.
- xv) This approval is given for the received prospective proposal given in the document subject to all other statutory clearances and the approval is applicable from this date onwards. The earlier instances of irregular mining (if any) shall not be regularized through the approval of this document. **The first year of the working proposal shall be considered as the financial year in which the lease deed is executed.**
- xvi) A copy of Environment Impact Assessment-Environment Management Plan (EIA-EMP) as approved by MOEF (Ministry of Environment & Forests) shall be submitted to IBM immediately after approval by MOEF alongwith a copy of their approval letter.
- xvii) A copy of the lease deed after execution of Mining Lease shall be submitted to this office.
- xviii) The approval of the above said Mining Plan alongwith Progressive Mine Closure Plan is subject to the compliance of Ministry of Mines' letter number F.No. 10/75/2008-MV, dated 23.12.2010 regarding exploration to be carried out within prescribed time limit as mentioned in the said letter as per UNFC norms.
- xix) This approval is subject to the comments of State Government received, if any, which will be binding on you for implementation.
- xx) The applicant/lessee has to comply with the terms & conditions laid down in the LOI issued by the State Government in this case.

Encl.: One copy of Approved Mining Plan alongwith with Progressive Mine Closure Plan.



Yours faithfully,

(Arun Prasad)

Regional Controller of Mines

Copy forwarded to:

1. The Director, Directorate of Geology & Mining, Government of Chhattisgarh, Indrawati Bhawan, Block-4, Second Floor, D-Block, Naya Raipur, PIN-492002 Chhattisgarh **along with one copy of Approved Mining with PMCP by REGISTERED PARCEL** with a request to advise the applicant /lessee to submit the financial assurance to the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur to comply with the provision of Rule 23 F(3) of Mineral Conservation and Development Rules, 1988 before executing the mining lease deed. The lease deed shall be executed only after receiving confirmation letter of acceptance of the Financial Assurance from the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, Nagpur submitted under Rule 23F of Mineral Conservation and Development Rules, 1988.

2. M/s Geo Solutions (P) Ltd, RQP, C/o, Shri Shaabli Saha, Authorised Signatory, HIG- 21, Amdi Nagar, Hadco Sector, Bhilai, Distt:- Durg (Chhattisgarh) 490 009 for information.

(Arun Prasad)
Regional Controller of Mines

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days, if the applicant satisfies the Controller General, Indian Bureau of Mines that he had sufficient cause for not making the application in time.

(8) On receipt of an application under sub-rule (7), the Controller General, Indian Bureau of Mines may confirm, modify or set aside the order or direction issued by the Chief Controller of Mines, Indian Bureau of Mines within a period of ninety days from the date of receipt of such application.

17. **Modification and review of the mining plan.-** (1) The mining plan once approved shall be subject to review and updation at an interval of every five years starting from the date of execution of the duly executed mining lease deed.

(2) At least one hundred eighty days before the expiry of every five years period specified in sub-rule (1), the lessee shall submit a mining plan for mining operations for a period of five subsequent years prepared in accordance with rule 15, which shall be disposed of in accordance with rule 16.

(3) A holder of a mining lease may seek modifications in the approved mining plan as are considered expedient, keeping in view changes in the business environment, or for facilitating increase in production capacity, or in the interest of safe and scientific mining, conservation of minerals, for the protection of environment; or any other reason to be specified in writing by the holder of a mining lease. Any modification to a mining plan shall be approved by the approving authority that approved the initial mining plan.

(4) In case of modifications to a mining plan, the provisions of rule 16 shall apply *mutatis mutandis*.

(5) In case of a system established by the State Government, the modification of mining plan shall be in accordance with such system.

CHAPTER VI: EXPIRY OF A MINING LEASE

18. **Auction post expiry of a mining lease.-** On the expiry of the lease period, the mining lease shall be put up for auction as per the procedure specified in the Act and rules made thereunder.

19. **Right of first refusal.-** (1) The holder of a mining lease granted for captive purpose shall have the right of first refusal at the time of auction held for such lease after the expiry of the lease period in the following manner:

- (a) to be eligible to exercise the right of first refusal, the lessee shall comply with the conditions of the mining lease, the Act and the rules made thereunder till its expiry;
- (b) prior to publication of the notice inviting tender, the State Government shall give a notice to the lessee requiring the lessee to specify his willingness or non-willingness to exercise the right of first refusal in writing, within a period of thirty days of receipt of such notice;
- (c) the notice inviting tender shall specify that the lessee holding the lease prior to expiry of the mining lease has the right of first refusal and shall also specify his willingness or non-willingness specified pursuant to sub-clause (b), if any;

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

ISSN 0972-3625

INDIAN MINERALS YEARBOOK 2024

- GENERAL REVIEWS
- METALS AND ALLOYS
- MINERAL REVIEWS

Annexure-III



INDIAN BUREAU OF MINES

CHHATTISGARH

Mineral Resources

Chhattisgarh is the sole producer of tin concentrates and moulding sand. It is one of the leading producers of coal, dolomite, bauxite and iron ore. The State accounts for about 36% tin ore, 20% iron ore (haematite), 18% coal, 11% dolomite and 4% each of diamond & marble resources of the country. Important mineral occurrences in the State are bauxite in Bastar, Bilaspur, Dantewada, Jashpur, Kanker, Kawardha (Kabirdham), Korba, Raigarh & Sarguja districts; china clay in Durg & Rajnandgaon districts; coal in Korba, Raigarh & Sarguja districts; dolomite in Bastar, Bilaspur, Durg, Janjgir–Champa, Raigarh & Raipur districts; and iron ore (haematite) in Bastar district, Bailadila deposit in Dantewada district, Chhote Dongar deposit in Kanker district, Rowghat, Chargaon, Metabodeli & Hahaladdi deposits in Rajnandgaon district and Boria Tibbu deposits in Dalli–Rajhara area, Durg district. Bailadila–Rowghat hill ranges in the State are considered to be one of the biggest iron ore fields in India. Limestone occurs in Bastar, Bilaspur, Durg, Janjgir–Champa, Kawardha (Kabirdham), Raigarh, Raipur & Rajnandgaon districts; quartzite in Durg, Raipur, Rajnandgaon & Raigarh districts; and talc/soapstone/ steatite in Durg & Kanker districts.

Other minerals found in the State are corundum in Dantewada district; diamond and other gemstones in Raipur, Mahasamund & Dhamtari districts; fire clay in Bilaspur, Raigarh & Rajnandgaon districts; fluorite in Rajnandgaon district; garnet & marble in Bastar district; emerald & gold in Raipur district; granite in Bastar, Kanker & Raipur districts; quartz/silica sand in Durg, Jashpur, Raigarh, Raipur & Rajnandgaon districts; and tin in Bastar & Dantewada districts (Table-1). The reserves/resources of coal are furnished in Table-2.

Exploration & Development

The Exploration & Development details for the State of

Chhattisgarh during the year 2023-24 are covered under the Review on Exploration & Development.

Production

Bauxite, Iron Ore, Tin Conc., Graphite (r.o.m.), Limestone and Moulding Sand are the major minerals produced in Chhattisgarh. There were 108 reporting mines in 2023-24 for MCDR minerals. The production value of all minerals (except atomic, fuel & minor minerals) was estimated at ₹ 20,164 crore for the year 2023-24 (Table-3).

Mineral-based Industry

The principal mineral-based industries in the Organised Sector in the State are furnished in Table- 4.

Table – 1 : Reserves/Resources of Minerals as on 1.4.2020: Chhattisgarh

Mineral	Unit	Total Reserves (A)	Remaining Resources (B)	Total Resources (A+B)
Bauxite	000' tonnes	23695	968860	992555
Diamond	carat	-	1304000	1304000
Fluorite	tonne	-	545455	545455
Garnet	tonne	-	28800	28800
Gold				
Ore	tonne	-	4841033	4841033
(Primary)				
Metal	tonne	-	5.51	5.51
(Primary)				
Graphite	tonne	5282	1330	6612
Iron Ore	000' tonnes	1593732	2998379	4592111
(Haematite)				
Iron Ore	000' tonnes	75876	30045	105921
(Magnetite)				
Limestone	000' tonnes	1486351		13211218
Tin				
Ore	tonne	2101	29795176	29797277
Metal	tonne	973.99	15909.58	16883.57

Figures rounded off.

Table – 2 : Reserves/Resources of Coal as on 1.4.2024 : Chhattisgarh

(In million tonnes)

Coalfield	Proved	Indicated	Inferred	Total
Total	40078	41093	1495	82666
Sohagpur	94	434	-	529
Sonhat	950	1988	2	2940
Jhilimili	228	39	-	267
Chirimiri	320	11	31	362
Bisrampur	2014	678	5	2698
East Bisrampur	-	629	-	629
Lakhanpur	456	3	-	459
Panchbahini	-	11	-	11
Hasdeo-Arand	2032	3273	223	5529
Sendurgarh	153	126	-	279
Korba	8769	4212	49	13030
Mand-Raigarh	22933	26623	1099	50656
Tatapani-Ramkola	2128	3064	85	5278

Figures rounded off.

Source: Coal Directory of India, 2023-24.

Table - 3 : Mineral Production in Chhattisgarh, 2021-22 to 2023-24**(Excluding Atomic, Fuel and Minor Minerals)***(Value in ₹ '000)*

Mineral	Unit	2021-22			2022-23			2023-24(p)		
		No. of Mines	Quantity	Value	No. of mines	Quantity	Value	No. of Mines	Quantity	Value
Bauxite	t	13	968248	1079736	11	1056576	1215499	15	1033176	1230964
Iron Ore	'000t	21	41333	222498723	20	42487	170877445	21	46043	186363948
Tin Conc.	kg	6	26301	32619	4	45432	52285	4	22345	17341
Graphite (r.o.m.)	t	1*	-	-	1*	-	-	1	1007	1316
Limestone	'000t	64	41889	11523823	72	44777	13064371	63	49279	14021421
Moulding Sand	t	4	17583	5256	3	17260	5373	4	24494	7386

Table – 4 : Principal Mineral-based Industries

Industry/plant	Capacity ('000 tpy)
Aluminium	
Bharat Aluminium Co. Ltd (Unit I & II), Korba. (# Plants remained non-operational during the year).	200 # (Alumina) 570 (Aluminium)
Cement	
ACC Ltd, Jamul, Distt Durg.	2400
Ambuja Cements Ltd, Bhatapara, Distt. Raipur.	3500
Bhilai Jaypee Cement Ltd, Bhilai, Distt Durg (G).	2200
Century Cement, Baikunth, Distt Raipur.	2100
Century Textile & Industires Ltd, Tandwa, Tilda	2400
Emami Ltd, Baloda Bazar, Distt Raipur	2500
Emami Ltd, Risda Baloda Bazar, Distt Raipur	3200 (clinkar) 2500
Emami Cement Ltd, Risda Baloda Bazar	3000
J. K. Laxmi, Durg	2.7
J. K. Laxmi Cement Ltd, Malpurikhurd, khasadhe, Dhamdha	2400
Lafarge India Pvt. Ltd, Arasmeta, Distt Janjgir-Champa.	1.8
Lafarge India Pvt. Ltd, Sonadih, Distt Raipur	550
NUVOCO Vistas Co. Ltd	1000
Sonadih Cement Plant, Rasedi, Baloda Bazar	
Shree Cement, Baloda Bazar, Distt Raipur	3000
Shree Cement Ltd, Khapradih Simga, Balrampur.	3000
UltraTech Cement Ltd, Hirmi, Distt Raipur.	1900
UltraTech Cement Ltd, Rawan, Distt Raipur.	2500
Chemical	
Indu Ragukul Food & Chemical Pvt. Ltd,	1.5 (Sodium Dicromate) 2.7 (Sodium chromate)
Electrode Rajghatta, Kharsia	1.35 (Sodium sulphate)

Table 4 (Cont.)

Industry/plant	Capacity ('000 tpy)
Bhanpuri, Raipur Calcutta Electrode Pvt. Ltd,	7.4
Fertilizer	
Dharamsi Morarji Chemical Co. Ltd,	183 (SSP & H ₂ SO ₄)
Kumhari, Distt. Durg.	66 (SSP)
Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd,	49.5 (H ₂ SO ₄)
Distt Rajnandgaon.	
Iron & Steel	
Bhilai Steel Plant, Bhilai	6334 (Sinters) 4700 (Pig iron) 3925 (crude/liquid steel) 30 (Refractory bricks)
Jindal Steel & Power Ltd, Raigarh	2500 (Sinters) 1320 (Sponge iron) 8600 (Crude/liquid 650 (Pig iron) 255 (Sponge iron) 1200 (pellets) 1200 (Steel)
Jayaswal NECO Industries Ltd, Siltara, Distt Raipur.	962.3 (Sinters) 612.5 (Pig iron) 750 (MS billet) 450 (TMT Bar) 600 (Pellets) 210 (Sponge iron)
Monnet Ispat & Energy Ltd, Naharpalli, Raigarh	130 (Steel) 1200 (pellets)
Sarda Energy & Minerals Ltd, (formerly Raipur Alloys & Steel Ltd), IGC, Shri Bajrang Power & Ispat Ltd, Borjhara, Distt Raipur.	
Sponge Iron	
A.P.I. Ispat & Power Tech. Pvt. Ltd, Siltara Billets, Raipur	210
Alliance Integrated Metallics Ltd, Bemta, Distt Raipur.	500
Anjani Steel Ltd, Ujalpur, Distt Raigarh	108
Arti Sponge & Power Ltd, Siltara, Distt Raipur	60
Ambika Ispat (I) Pvt Ltd, Tarainal, Distt Raigarh	30
Baldev Alloys Pvt. Ltd, Siltara, Raipur	30
Bhagavati Power & Steel Pvt Ltd, Siltara, Distt Raipur	60
B.S. Sponge Pvt Ltd, Taraimal, Raigarh	90
Crest Steel & Power Pvt. Ltd, IGC Borai, Distt Durg	231
Devi Iron & Power Pvt Ltd, Tandira, Distt Raipur	90
Drolia Electro Steel Pvt Ltd, Siltara, Raipur	66
Euro Pratik Ispat Pvt Ltd, Charoda, Distt Raipur	30
Gravity Treksim Pvt Ltd, Siltara, Distt Raipur	30
Godavari Power & Ispat Ltd, Siltara, Distt Raipur	495 2100 (pellets)
Gopal Sponge & Power Pvt Ltd, Siltara,	30

Table 4 (Cont.)

Industry/plant	Capacity ('000 tpy)
Distt Raipur	
Gitanjali Ispat & Power Pvt Ltd, Sirgititi, Distt Bilaspur	10
GR Sponge & Power Ltd, Siltara, Distt Raipur	72
Shree Hare Krishna Sponge Iron Ltd, Siltara, Distt Raipur	12000
Jai Shree Balaji Steel Pvt Ltd (HEG Ltd), Borai, Distt Durg	120 (Sponge iron)
Hi-Tech Power & Steel Ltd, Parsada, Distt Raipur	60
Khetan Sponge & Infrastructure Pvt. Ltd, Sarora, Distt Raipur	30
Maa Kali Alloys (Ind.) Pvt Ltd, Pali, Distt Raigarh	60
MSP Steel & Power Ltd, Raigarh	192
	900 (pellets)
Monnet Ispat & Energy Ltd, Hasaud, Raipur	300
	250 (Semi-finished Steel)
	150 (Finished Steel)
Monnet Ispat & Energy Ltd, Naharpalli, Raigarh	500
NR Sponge Pvt. Ltd, Raipur	90
Nalwa Steel & Power Ltd, Taraimal, Raigarh	198
Nakoda Ispat Ltd, Siltara, Raipur	171
Niros Ispat Pvt. Ltd, Hathkhoj, Bhilai	97.5
Nova Iron & Steel Ltd, Dagori, Bilaspur	150
Nutan Ispat & Power Ltd, Jaroda, Raipur	60
PD Industries Pvt. Ltd, Siltara, Raipur	60
Prakash Industries Ltd, Hathenewra, Janjgir-Champa	1000
Raigarh Ispat & Power Ltd, Delari, Distt Raigarh	60
Rameswaram Steel & Power Ltd, Gharghoda, Distt Raigarh	72
Real Ispat and Power Ltd, Borjhara, Raipur.	60
	460 (Finished Steel)
Sarda Energy & Minerals Ltd, Mandhar, Raipur	150
Hanumant Alloys (India) Pvt. Ltd, Hardikala, Distt Bilaspur	16.5
Shivalaya Ispat & Power Pvt Ltd, Guma, Distt Raipur	90
Shivshakti Steel Pvt. Ltd, Chakradharpur, Distt Raigarh	97.5
Shree Shyam Ispat (India) Pvt. Ltd, Taraimal, Raigarh	120
Singhal Enterprises Pvt Ltd, Taraimal, Distt Raigarh	253.5
Singhal Energy Pvt. Ltd, Taraimal, Raigarh	60
Sree Nakoda Ispat Ltd, Siltara, Distt Raipur	66
Sunil Sponge Iron Ltd, Chiraipani, Distt Raigarh	60
Sunil Sponge Pvt. Ltd, Munrethi, Dharsiwa	60
Topworth Steel Pvt Ltd, Rasmada, Distt Durg	165

Table- 4 (Concl.d.)

Industry/plant	Capacity ('000 tpy)
Trimula Sponge Iron Pvt Ltd, Siltara, Raipur	30
Vandana Global Ltd, Siltara, Distt Raipur	216
Vasvani Industries Ltd, Siltara, Distt Raipur	90
Vidhyan Minerals India Pvt. Ltd, Bilaspur	30
Ferroalloys	
Alok Ferro Alloys Ltd, Urla, Raipur	18
Deepak Ferro Alloys Ltd, Urla, Distt Raipur	5
Indsil Energy & Electro Chemical Ltd, Urla, Distt Raipur	19.2
Hira Ferro alloys Ltd, Urla, Distt Raipur	61.5
Jindal Steel & Power Ltd, Kharsia, Distt Raigarh	36
Sarda Energy & Minerals Ltd, (merged Chhattisgarh Electricity Co. Ltd)	600 (Pellets) 360 (Sponge Iron) 410 (Finished Steel)
Siltara, Distt Raipur	150 (Silico & Ferro- manganese)
Nav-chrome Ltd, Urla, Distt Raipur	50
Orion Ferroalloy Pvt. Ltd	8
Punjipathra, Gharghora	
V.A. Power & Steel Pvt. Ltd	8.1(Fe-Si)
Punjipathra, Gharghoda Manganese Oxide	
Vandana Allied Minerals and alloy Bodegaon, Durg	3.6
Refractory	
SAIL Refractory Unit (formerly Bharat Refractories Ltd), Bhilai, Distt Durg	60
Vishva Vishal Engineering Ltd, Bhilai, Distt Durg	8.2

(G): Grinding Unit

Note: Data, not readily available for fertilizer and cement industries on respective websites, is taken from Indian Fertilizer Scenario, FAI Statistics, and Survey of Cement Industry & Directory, respectively.

plant remained unoperational during the year



CHAPTER-6.0

PROCESSING OF ROM AND MINERAL REJECT

a. If processing /beneficiation of the ROM or Mineral Reject is planned to be conducted, briefly describe nature of processing/beneficiation. This may indicate size and grade of feed material and concentrate (finished marketable product), recovery etc.

At present the mineral 20 to 200 mm size is sent to crushing plant to crush it and screen it into required size, whereas the ROM of less than 20 mm is fed into the screen plant to separate the mineral as per size, where (-) 10 mm is treated as fines and (+)10 to 20 mm is treated as lumps after separation. Total ore which will be processed during net 3 years will come from the following source.

(a) ROM ore produce form mines (45% & above grade)

(i) Natural iron ore fines, lump of hard iron ore, lateritic ore and soft lateritic ore.

(ii) Mechanically mines Rom of hard ore boulders natural iron ore fines.

ROM ore from the above source are processed through fixed crushing & screening plant and mobile screening & screening plant and mobile screening & crushing unit to get sized ore and iron fines of different grade as per requirement of captive plants of the company.

अनुमोदित / Approved

The details of existing captive plants of M/s Shri Bajrang Power & Ispat Limited with production capacity (Finished product) and iron ore requirement is as follow:-

Table No.-48

Location	Works Details	Finished product capacity	Iron ore Requirement	
			Quantity	Grade
Borjhara Division	1. Sponge Iron Division	0.2 MTPA	2.00 MTPA	60 % Fe & above for finished product pellets, sponge iron, Ferro Alloys, Billets, TMT Rebars, Binding wire, HB wire, wire rod, MS Rounds, ERW pipes etc.
	2. Hot Re- Rolling mill	0.12 MTPA		
	3. Still melting Shop	0.1296 MTPA		
Tilda Division	1. Sponge Iron Division	0.40MTPA (2 X 600 TPD)		
	2. Palletisation Plant	1.40 MTPA		
	3. Iron Ore beneficiation Plant	2.00 MTPA		
Gondwara Division	1. Rolling Mill	0.0595 MTPA		
	2. Still Melting Shop	0.1056 MTPA		
	3. Rolling mill with coal gasifier	0.150 MTPA		

In this mine it is proposed to operate 3 nos mobile screening & 2 nos mobile crushing units along with 1 fixed crushing & screening plant. These mobile units will be located in the quarry, in non-working quarry benches and other mineral storing/ stacking yard as per convenience & requirement. These mobile units will be operated either in combination or individual. Total capacity of these units will be enough to handle total 1.0 Million Tonne of Iron ore.

Details of the dry processing plants already under use or proposed to be used is given below.

1. Stationary crushing plant:-

Capacity 250 TPH 9 worked at 80 % capacity): 1 Nos, it can process about 0.48 million tonne of iron ore. ROM/ screened oversize ore produced from mines are processed in this crusher.

2. Mobile screening plant:- Capacity 250 TPH/ worked at 80% capacity) , 2 nos. it can screen about 0.96 million tonne of iron ore.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ०ग०)

☎07831-273091, 273092 (Office) 273093 (fax) email :- dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2024/10997

बलरामपुर दिनांक/09/10/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

विषय :-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2(1) (ii) of the van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980 For diversion of 66.02 ha. (57 ha. Mining lease and 9.02 ha. Approach road of Forest Land fo Chhotedongar Iron Ore Mine M/s Bajrang Power & ISpat Ltd in Narayanpur district of Chhattigarh- regarding.

संदर्भ :-

मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र-04/5827 अम्बिकापुर दिनांक 06.08.2024

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण अंतर्गत बिन्दु क्रमांक -5 Compensatory Aflorestation has been proposed over 66.02 ha non-forest land and KML file is also submitted for the same, whereas, CA scheme and suitability certificate has been submitted for 76.916 ha. by DFO concerned In this regard, clarification may be submitted by the State Government whether CA will be carried out in 76.916 ha or in 66.02 ha. Accordingly revised CA details needs to be submitted. से वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु नवीन परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण अंतर्गत संशोधित वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) के पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विविध/115-25/1103 रायपुर दिनांक 01.05.2024 के निर्देशानुसार तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम	खसरा न.	रकबा (हे.)	प्राक्कलित राशि
1	चान्दों	डूमरखोली	232, 222, 231, 240, 244, 248, 259, 224, 225, 261, 206, 228, 229, 242, 207, 220, 223	24.813	29023269.00
2	—“—	बाटा	427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520	18.503	21642589.00
3	कुसमी	सोनपुर	144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 165/2, 313, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 329	10.128	11846519.00
4	—“—	टाटीझरिया	195, 197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219	12.621	14762532.00
Total :-				66.065	77274909.00

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

बलरामपुर, दिनांक/09/10/2024

पु.क्रमांक/मा.चि./ 10998

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक, अटल नगर नवा रायपुर छ.ग. को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
3. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड़ रायपुर की सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अमूल रतन राय वनपरिक्षेत्राधिकारी चान्दो परिक्षेत्र, वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम ~~वाटा~~ खसरा न. 427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520 रकबा क्रमशः 2.723, 0.810, 0.878, 2.331, 1.68, 2.031, 1.173, 1.862, 2.505, 1.421, 0.401, 0.668 कुल रकबा 18.503 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।



वन परिक्षेत्राधिकारी
चान्दो

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं अशोक कुमार तिवारी उप वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर उप वनमण्डल, बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम ~~वाटा~~ खसरा न. 427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520 रकबा क्रमशः 2.723, 0.810, 0.878, 2.331, 1.68, 2.031, 1.173, 1.862, 2.505, 1.421, 0.401, 0.668 कुल रकबा 18.503 हे. प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया गया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।



उप वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर

परियोजना प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन



वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड खनिज लौह अयस्क परियोजना अंतर्गत
क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
संस्थान का नाम – मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा,
उरला गुमा रोड़ रायपुर

परियोजना अवधि : 2024–25 से 2033–24

कार्य स्थल का विवरण

परिसर	–	गदामी
उपवनक्षेत्र	–	सबाग
वन प्रबंधन समिति	–	गदामी
खसरा क्रमांक	–	427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531, 520

प्रस्तावित रकबा	–	18.503	ha.
प्राक्कलित राशि		21642589	

वन परिक्षेत्राधिकारी चान्दो

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

परियोजना प्रतिवेदन
राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

(रोपण हेतु प्रस्तावित शीशम, बीजा, हल्दु एवं मुण्डी आदि प्रजाति)

ग्राम बाटा
कुल 09 खसरा

कुल रकबा - 18.503 हे.
रकबा क्रमशः (हे.)

427, 529, 447, 460, 461, 464, 463, 449, 526, 522, 531,
520

2.723, 0.810, 0.878, 2.331, 1.68, 2.031, 1.173, 1.862, 2.505,
1.421, 0.401, 0.668

मजदूरी दर-

345.00

प्रति दिवस

प्रथम वर्ष (2024-25)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	PCCF Job Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटाई सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुंटा लगाना।	18.503	Hect.	0.85	मा.दिवस/हे.	15.72755	5426.00475
1.2	PCCF Job Rate 1.1.2	वन संनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	18.503	Hect.	0.25	मा.दिवस/हे.	4.62575	1595.88375
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								7021.8885
2		फेंसिंग कार्य						
2.1		प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल द्वारा चैनलिक फेंसिंग कार्य (प्रति हेक्टेयर 85 रनिंग मीटर) क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाईन (पेरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	RES SOR 307	प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कदोर मुरुम में गड़दा खुदाई अंतराल 3x3 मीटर सपोर्टिंग पोल हेतु सहित साइज - 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt. x 32	37.894	Cmt.	247.70	Rs/Cmt.		9386
2.1.2	RES SOR 413 (c)	प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड़दों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एमएम गिट्टी) 32x0.40x0.40x0.10 = 0.512Cmt.	9.474	Cmt.	3430.40	Rs/Cmt.		32498
2.1.3	CSIDC RC	प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल क्रय लम्बाई 2.4 मीटर 10 प्रतिशत सपोर्टिंग पोल सहित) CSIDC Items code-700002957	592	No.	419.00	Rs/No.		248088
		GST 18% -	592	No.	75.42	Nos		44656
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	592	No.	2.97	Nos		1759

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोद गये गड्ढों में 1:2:4 सी.सी. द्वारा पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एमएम गिट्टी) 32x0.40x0.40x0.30 = 1.536 Cmt.						
		(-) प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल साइज 32x0.30x 0.10x 0.10 = 0.096 Cmt.						
		Net-	26.64	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		121256
2.1.5	CSIDC RC	2.1 मीटर ऊंचाई की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिक लोहे की जाली क्रय						
		CSIDC Items code-700000162 (85x2.10= 178.50sqm@4.5 kg/sqm = 803.25kg/ ha.)	14862.53	kg	74.00	Rs/Kg.		1099828
		GST 18% -	14862.53	kg	13.32	kg		197969
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	14862.53	kg	0.52	kg		7729
2.1.6	LMR	चैनलिक लोहे की जाली प्रीस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल में 2mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टेपल/जी.आई. यू नेल्स/स्टील पिन की सहायता से बांधकर टाईट करना।	3302.79	Sqm.	2.00	मा.दि/100 मीटर	6605.571	22789
2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 85x2.10x2 = 357/10=35.70 Sqm.	660.56	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		107869
योग :								1893826
2.1.8	Special Rate	ट्रकेवल प्वाइन्ट से चैनलिक जाली/प्रीस्ट्रेस्ड आर. सी.सी. पोल/सीमेंट/रेत/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						37877
2.1.9		अन्य आकस्मिक व्यय कुल व्यय का 1 प्रतिशत						19536
फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-								1951239
प्रति रनींग मीटर फेन्सिंग कार्य पर व्यय								22956
प्रति पौधा व्यय								19512

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
3.1	PCCF Job Rate 3.1.6	दूँठ ड्रेसिंग-20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपिस प्रजाति के जीवित दूँठ एवं पोलाई का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन	3.70	Hect.	9.75	मा.दिवस/हे.	36	12447.8933
3.2	PCCF Job Rate 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कॉपिस देने वाली प्रजाति की आड़ी-टेढ़ी विकृत अग्रिम पौध की कटाई एवं दूँठों की ड्रेसिंग तथा सफाई	9.25	Hect.	5.00	मा.दिवस/हे.	46.2575	15959
3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिर्सों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेसिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	7.40	Hect.	30.00	मा.दिवस/हे.	222.036	76602.42
3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी दूँठों को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना ।	5.55	Hect.	50.00	मा.दिवस/हे.	277.545	95753.025
जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								200762
4		रोपणी में पौधा तैयारी :-						
4.1	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंजुअल्टी सहित)	21278	Plants	66.00	रूपये/पौधे.		1404377.7
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								1404377.7
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.2		स्टेकिंग कार्य :-						
5.2.1	PCCF Job Rate 1.4.3	3×3 मी. अंतराल में मिश्रित पौधा रोपण हेतु	18503	Pits	3.50	मा.दि/हजार	64.76	22342
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								22342
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					1850.3
5.4		गड्ढों की खुदाई						
5.4.1	PCCF Job Rate 1.5.2.3	मिश्रित पौधा रोपण हेतु 3×3 मीटर की अन्तराल में 60×60×60 से.मी साईज के कड़ी मिट्टी में गड्ढा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुरुमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	18503	Pits	12.00	मा.दि/संकड़ा	2220.36	76602.42

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.42	Market Rate	गड्डों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिवहन - 60x60x60=0.216 Cmt.x1000=216.00 Cmt./2	1998	Cum	325.00	रुपये/घ.मी.		649455.3
रोपण उपचार एवं गड्डे खुदाई कार्य पर कुल व्यय								1439672
6	6.1	PCCF Job Rate & RES SOR	भू-जल संरक्षण कार्य- क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार भू-जल संरक्षण संरचनाएं प्रस्तावित किया जावे (स्टेगर्ड कन्टूर ट्रेन्च, लूजबोल्डर चेकडेम, आदि निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है)	18.50	Hect.	10000.00	रुपये/हे.	185030
भू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								185030
7			सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से					
	7.1	Market Rate	भू-तल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	1.9		5500	प्रति बोर	10176.65
	7.2	Market Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट केसिंग सहित	1.9		137500	प्रति बोर	254416.25
	7.3	Market Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	1.9		440000	प्रति पंप	814132
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								1078724.9
8			अनुसंधान एवं विकास					
	8.1		प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect.	3000	रुपये/हे.	55509
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :								55509
	8.2		आस्था मूलक कार्य	18.50	Hect.	116968	रुपये/हे.	2164258.9
आस्था मूलक कार्य पर व्यय :								2164259
	8.3		अग्नि सुरक्षा					
	8.3.1	PCCF Job Rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी./हे. की मान से)	1480	Mtr.	2.50	मा.दि/कि.मी.	3.7006 1277
	8.4		अन्य व्यय					
	8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण	LS				74012
	8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS				71468
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय का योग								146756
कुल योग व्यय :-								8633352
प्रति पौधा व्यय								467

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
द्वितीय वर्ष (2025-26)								
2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	2.1	Special Rate 30×45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	21278	Plants	22.00	रुपये/पौधे		468125.9
	2.2	Special Rate 30×45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	2035	Plants	66.00	रुपये/पौधे		134331.78
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय								602457.68
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
	3.1	पौधा परिवहन						
	3.1.1	Market/Tender Rate 30×45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे तक पहुंचाना	21278	Plants	22.00	रुपये/पौधे		468125.9
पौधा परिवहन पर व्यय :-								468125.9
4	4.1	पौधा रोपण						
	4.1.1	Special Rate पौधा रोपण कार्य 60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड़दा भराई प्रति मानव दिवस	18503	Plants	4.40	मा.दि./सैकड़ा	814.132	280875.54
रोपण कार्य पर व्यय :-								280875.54
5	5.1	रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.1.2	Market Rate 60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु वर्मीकम्पोस्ट खाद का क्रय। (5 कि.ग्रा. प्रति गड़दा)	92515	Kg.	11.00	रुपये/घ.मी.		1017665
	5.2	डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
	5.2.1	Market Rate 60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	925	Kg	33.00	रुपये/किलो		30530
	5.3	नीम खली का क्रय						
	5.3.1	Market Rate 60×60×60 से.मी. आकार के गड़दों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग हेतु।	2775	Kg	44.00	रुपये/किलो		122119.8

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.4	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	56	Ltr.	1100.00	रूपये/लि.		61059.9
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Market Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम के मान से क्रय।	2775	Kg	33.00	रूपये/किलो		91589.85
5.3.6	Market Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाईजर, हार्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग।	18503	Plants	11.00	रूपये/पौधे		203533
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								1526497.55
5.4		निंदाई कार्य						
5.4.1	PCCF Job Rate 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात (जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में) एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित	18503	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	222.036	76602.42
5.4.2	PCCF Job Rate 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रथम निंदाई के 20-25 दिन बाद माह अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	18503	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	370.06	127670.7
5.4.3	PCCF Job Rate 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में सितम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने केंपिलरी टूटने से गूगि रातह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	18503	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	222.036	76602.42
निंदाई कार्य पर व्यय :-								280875.54
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								2556374.53
6		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	185	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	336.7546	116180
6.1.2	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		37006
सिंचाई पर कुल व्यय								153186
7		अन्य कल्चरल आपरेशन						
7.1	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र — वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैली से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	7.40	Hect	10	मा.दि./हे.	74.01	25534.14
8		अनुसंधान एवं विकास						
8.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेखीकरण	18503	No.	1.40	रुपये/नग		25904.2
8.2	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	2500.00	रुपये/हे.		46257.5
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :								72161.7
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.65	99583
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						18503

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय : 118086

10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5%						179590
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :								179590
योग व्यय :-								3707391
प्रति पौधा व्यय								200

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)

1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	157.3	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		97511
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								97511

2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	2035	Plants	22.00	रुपये/पौधे		44777.26
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय								44777.26

3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		मृत पौध प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
3.1.1	PCCF Job Rate 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गड्ढा खोदाई 60 × 60 × 60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	1850	Pits	10.50	मा.दि/सैकड़ा	194.2815	67027
3.1.2	Market/Tender Rate	पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 30×45से.मी.)	18503	Plants	22.00	रुपये/पौधे		407066
3.1.3	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मान से उपयोग	5.55	Ltr	1100.00	रुपये/लितर		6105.99
3.1.4	PCCF Job Rate 4.10.2.3	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60× 60 सेमी साईज के गड्ढों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण	1850	Plants	3.55	मा.दि/सैकड़ा	65.69	22662
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय								502861

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.11	PCCF Norms 4.11.1.2	प्रथम निंदाई - एक मीटर व्यास में गोल निंदाई, मृत पौधों को बदलना एवं गुड़ाई करना (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार डाला जायेगा।	18503	Plants	1.20	प्रति सैकड़ा	222.036	76602
5.1.12	PCCF Norms 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई - 1 मीटर चौड़ी पट्टी में की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद आवश्यकतानुसार डाला जायेगा।	18503	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	370.06	127671
5.1.13	PCCF Norms 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई - 1 मीटर व्यास में गोल निंदाई की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने केपिलरी टूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	20353	Plants	2.00	प्रति सैकड़ा	407.066	140438
5.1.14	PCCF Norms 1.8.1	मृदा जल संरक्षण कार्य स्थलों पर अश्वगंधा, कालमेघ, भोईनीम, केंवाच आदि की बीज बोवाई	6939	Rm.	0.25	प्रति सैकड़ा	17.35	5985
5.1.15	PCCF Norms 1.8.2	लाईव हेज निर्माण - अगेव, नागफनी, गटारन, जट्रोफा आदि का फेंसिंग के किनारे दो लाईन में बीज बोवाई/रोपण	3146	Rm.	1.25	प्रति सौ रमी.	39.32	13565
5.1.16	special Rate	स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अडूसा, सवाईघात, लेमनग्रास, खस, बच आदि के कटिंग/नंगे पौधे/कंद तैयार करना	46258	per plant	6.00	प्रति पौधा		277545
5.1.17	special Rate	रोपण क्षेत्र में 1 x 1 मी. के अंतराल पर स्टीरिया, तिखुर, सर्पगंधा, शतावर, गिलोय, बाईबीडन, अडूसा, सवाईघात, लेमनग्रास, खस, बच आदि के कटिंग/नंगे पौधे का रोपण	46258	per plant	0.27	मा.दि./सैकड़ा	124.90	43089
औषधीय प्रजाति के शाकीय/झाड़ी/बेला प्रजाति के पौधों के रोपण पर व्यय							1511053	
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								2508499
6		भू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
6.1	PCCF Job Rate & RES SOR	भू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य	18.50	Hect	1000.00	रूपये/हे.		18503
जल संवर्धन कार्य पर व्यय							18503	
7		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	166.53	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	303.0791	104562
7.1.2	special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	185.03	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	336.7546	116180
7.1.3	special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		37006
सिंचाई पर कुल व्यय								257749
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
8.1	Special CAMPA Rate	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	7.40	Hect	3.00	मा.दि/हे.	22.2036	7660
8.2		एकलीकरण कार्य						
8.2.1	PCCF Job Rate 1.2.3	जीवित टूटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1.85	Hect	3.00	मा.दि/हे.	5.5509	1915
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत काँपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय								9575
9		अनुसंधान एवं विकास						
9.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.6	PCCF Job Rate 4.11.1.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	18503	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	222.036	76602.42
2.1.7	PCCF Job Rate 4.11.2.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	18503	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	370.06	127670.7
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								571372.64
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								571373
5								
6		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3×3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	166.53	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	303.0791	104562
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	185.03	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	336.7546	116180
6.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect.	2000.00	प्रति हेक्टे.		37006
पानी सिंचाई पर व्यय								257749
7		अनुसंधान एवं विकास						
7.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रूपये/हे.		55509
7.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रूपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:-								94365.3

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
8.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि./माह	288.6468	99583
8.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						18503
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								118086
9		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
9.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 15%						163546
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								163546
योग व्यय :-								1253874
प्रति पौधा व्यय								68
पंचम वर्ष रखरखाव कार्य (2028-29)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		48755
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								48755
2		पानी सिंचाई						
2.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना रागव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.02 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
2.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से मई तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	111.02	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	202.0528	69708
2.1.2		पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	18.50	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		37006
पानी सिंचाई पर व्यय								106714
5		भू-जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य						
6		अनुसंधान एवं विकास						
6.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रूपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								94365.3
7		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
7.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583.146
7.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						13877.25
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								113460
8		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
8.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 20%						98521.0738
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								98521.0738
योग व्यय :-								461816
प्रति पौधा व्यय								25
षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2029-30)								
1		फसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	157.28	Rm.	620.00	रूपये/र.मी.		97511
2	2.1	कटाई सफाई कार्य						
2.1.1	PCCF Job Rate 1.2.4	जीवित टूटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	18.50	Hect	3.00	मा.दि/हे.	55.509	19150.605
अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत क्लनिंग कार्य पर व्यय								19150.605
3		अनुसंधान एवं विकास						
3.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, गनेटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रूपये/हे.		55509
3.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रूपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								94365.3
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						13877.25
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								113460
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		मजदूरी/सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि 25%						81117
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								81117
योग व्यय :-								405604
प्रति पौधा व्यय								22

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य (2030-31)

1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (6 प्रतिशत)	78.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		48755
फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								48755
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
2.2	special Rate	अनुभवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								94365.3
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9251.5
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								108835
4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 30%						75585
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								75585
योग व्यय :-								327540
प्रति पौधा व्यय								18
अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य (2031-32)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		48755
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
2.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								94365.3
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9251.5

सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :-

108835

4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 35%						88185

दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय

88185

योग व्यय :-

340141

प्रति पौधा व्यय

18

नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2032-33)

1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		48755
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								48755
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रुपये/हे.		55509
2.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रुपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								94365.3
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						8141.32

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								107724
4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	4.1	सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 40%						101896
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								101896
योग व्यय :-								352741
प्रति पौधा व्यय								19
दशम वर्ष रखरखाव कार्य (2033-34)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
	1.1	PCCF Job Rate & RES SOR फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	78.64	Rm.	620.00	रूपये/र.मी.		48755
फेंसिंग मरम्मत पर व्यय								48755
2	2.1	special Rate रोपण क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार वनवर्धनिक कार्य प्रस्तावित किया जावे। (जैसे Invasive Alien Species का उन्मूलन, क्षेत्र सफाई, एकलीकरण आदि)	18.50	Hect	25.00	मा.दि/हे.	462.575	159588.375
अन्य कल्चरल आपरेशन कार्य:-								159588.375
3		अनुसंधान एवं विकास						
	3.1	Special Rate प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	18.50	Hect	3000.00	रूपये/हे.		55509
	3.2	special Rate अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	18503	Plants	2.10	रूपये/पौधा		38856.3
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								94365.3
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.93	12	26.00	मा.दि/माह	288.6468	99583
	4.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						13877.25
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								113460

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		सागरी/गजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	5.1	सागरी/गजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 45%						164492
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								164492
योग व्यय :-								531906
प्रति पौधा व्यय								532
महायोग :-								19478330

गोश्वारा


क्र.	वर्ष	रकबा (हे.)	राशि	प्रति पौधा व्यय (रु. में)
1	प्रथम वर्ष (2024-25)	18.503	8633351.78	467
2	द्वितीय वर्ष (2025-26)	18.503	3707390.65	200
3	तृतीय वर्ष (2026-27)	18.503	3463965.13	187
4	चतुर्थ वर्ष (2027-28)	18.503	1253874.30	68
5	पंचम वर्ष (2028-29)	18.503	461816.38	25
6	षष्ठम वर्ष (2029-30)	18.503	405604.26	22
7	सप्तम वर्ष (2030-31)	18.503	327540.11	18
8	अष्टम वर्ष (2031-32)	18.503	340140.65	18
9	नवम वर्ष (2032-33)	18.503	352741.19	19
10	दशम वर्ष (2033-34)	18.503	531905.74	29
	योग (प्रथम से दशम वर्ष)		19478330	1053
	राष्ट्रीय कैम्पा नई दिल्ली हेतु 10 प्रतिशत राशि		2164259	
	महायोग :-		21642589	


वन परिक्षेत्राधिकारी
चान्दो



उपवनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर


वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर

Georeferencing Cadastral Plan Showing Existing Compensatory Afforestation Plantation over 26.835 ha. Area in Village - Bata, Tehsil - Samri , District - Barampur, State- Chhattisgarh Against Diversion of 57 ha. Mining Lease Area and 9.02 ha. Approach Road in Forest Range Chhotedongar Forest Division: Narayanpur, District: Narayanpur, State: Chhattisgarh



DATUM : WGS 84
Scale 1:3960
PROJECTION : UTM ZONE 44



LEGEND

- CA Land Boundary as per DGPS Survey
- DGFS Boundary Pillar
- BP-11 DGFS 50 M Boundary Pillar
- Sy No Boundary
- Road / Cart Track
- Nalla / River
- Village Boundary

LIST OF DGPS BOUNDARY PILLAR COORDINATE


Sl. No.	BP No.	Easting	Northing
1	BP-1	259947.77	259923.53
2	BP-2	259947.77	259923.53
3	BP-3	259947.77	259923.53
4	BP-4	259947.77	259923.53
5	BP-5	259947.77	259923.53
6	BP-6	259947.77	259923.53
7	BP-7	259947.77	259923.53
8	BP-8	259947.77	259923.53
9	BP-9	259947.77	259923.53
10	BP-10	259947.77	259923.53
11	BP-11	259947.77	259923.53
12	BP-12	259947.77	259923.53
13	BP-13	259947.77	259923.53
14	BP-14	259947.77	259923.53
15	BP-15	259947.77	259923.53
16	BP-16	259947.77	259923.53
17	BP-17	259947.77	259923.53
18	BP-18	259947.77	259923.53
19	BP-19	259947.77	259923.53
20	BP-20	259947.77	259923.53
21	BP-21	259947.77	259923.53
22	BP-22	259947.77	259923.53
23	BP-23	259947.77	259923.53
24	BP-24	259947.77	259923.53
25	BP-25	259947.77	259923.53
26	BP-26	259947.77	259923.53
27	BP-27	259947.77	259923.53
28	BP-28	259947.77	259923.53
29	BP-29	259947.77	259923.53
30	BP-30	259947.77	259923.53
31	BP-31	259947.77	259923.53
32	BP-32	259947.77	259923.53
33	BP-33	259947.77	259923.53
34	BP-34	259947.77	259923.53
35	BP-35	259947.77	259923.53
36	BP-36	259947.77	259923.53
37	BP-37	259947.77	259923.53
38	BP-38	259947.77	259923.53
39	BP-39	259947.77	259923.53
40	BP-40	259947.77	259923.53
41	BP-41	259947.77	259923.53
42	BP-42	259947.77	259923.53
43	BP-43	259947.77	259923.53
44	BP-44	259947.77	259923.53
45	BP-45	259947.77	259923.53
46	BP-46	259947.77	259923.53
47	BP-47	259947.77	259923.53
48	BP-48	259947.77	259923.53
49	BP-49	259947.77	259923.53
50	BP-50	259947.77	259923.53
51	BP-51	259947.77	259923.53
52	BP-52	259947.77	259923.53
53	BP-53	259947.77	259923.53
54	BP-54	259947.77	259923.53
55	BP-55	259947.77	259923.53

PROBANDI No.

वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र


परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं काली राम वनपरिक्षेत्राधिकारी कुसमी परिक्षेत्र, वनमण्डल बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम टाटाझरिया खसरा न. 195,197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219 रकबा क्रमशः 0.913, 0.336, 2.784, 0.316, 0.652, 0.437, 1.096, 0.753, 0.539, 0.291, 1.011, 0.458, 0.575, 1.327, 1.133 कुल रकबा 12.621 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौकों की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ ।


वन परिक्षेत्राधिकारी
कुसमी

उपवनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं रविशंकर लाल श्रीवास्वत उप वनमण्डलाधिकारी राजपुर उप वनमण्डल, बलरामपुर प्रमाणित करता हूँ कि ग्राम टाटाझरिया खसरा न. 195,197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219 रकबा क्रमशः 0.913, 0.336, 2.784, 0.316, 0.652, 0.437, 1.096, 0.753, 0.539, 0.291, 1.011, 0.458, 0.575, 1.327, 1.133 कुल रकबा 12.621 हे. प्रतिवेदन में उल्लेखित समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौकों पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया गया । मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


उप वनमण्डलाधिकारी
राजपुर

परियोजना प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ शासन



वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड खनिज लौह अयस्क परियोजना अंतर्गत
क्षतिपूर्ति सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण
संस्थान का नाम – मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझारा,
उरला गुमा रोड़ रायपुर

परियोजना अवधि : 2024–25 से 2033–24

कार्य स्थल का विवरण

परिसर	–	सेरेंगदाग
उपवनक्षेत्र	–	सामरी
वन प्रबंधन समिति	–	टाटीझारिया
खसरा क्रमांक	–	195,197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213, 222, 204, 207, 219

प्रस्तावित रकबा	–	12.621	ha.
प्राक्कलित राशि		14762532	

वन परिक्षेत्राधिकारी कुसमी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

परियोजना प्रतिवेदन
राज्य कैम्पा निधि से सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

(रोपण हेतु प्रस्तावित शीशम, बीजा, हल्दु एवं मुण्डी आदि प्रजाति)

ग्राम टाटीझारिया
कुल 15 खसरा

कुल रकबा - 12.621 हे.
रकबा क्रमशः (हे.)

195,197, 200, 210, 209, 190, 192, 196, 198, 212, 213,
222, 204, 207, 219

0.913, 0.336, 2.784, 0.316, 0.652, 0.437, 1.096, 0.753, 0.539,
0.291, 1.011, 0.458, 0.575, 1.327, 1.133

मजदूरी दर-

345.00

प्रति दिवस

प्रथम वर्ष (2024-25)

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	PCCF Job Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटाई सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.एम.एल. फाईल तैयार करते हुए, सीमा में खुंटा लगाना।	12.621	Hect.	0.85	मा.दिवस/हे.	10.72785	3701.10825
1.2	PCCF Job Rate 1.1.2	वन संनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	12.621	Hect.	0.25	मा.दिवस/हे.	3.15525	1088.56125
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर ब्यय :-								4789.6695
2		फेंसिंग कार्य						
2.1		ग्रीस्ट्रेड आर.सी.सी. पोल द्वारा चैनलिंग फेंसिंग कार्य (प्रति हेक्टेयर 85 रनिंग मीटर) क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाईन (पेशीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शित हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	RES SOR 307	ग्रीस्ट्रेड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु कड़ी मिट्टी/कठोर मूरुम में गड़दा खुदाई अंतराल 3x3 मीटर सपोर्टिंग पोल हेतु सहित साइज - 0.40x0.40x0.40 = 0.064 Cmt. x 32	25.848	Cmt.	247.70	Rs/Cmt.		6403
2.1.2	RES SOR 413 (c)	ग्रीस्ट्रेड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोदे गये गड़दों में 1:4:8 सी.सी. का मिश्रण डालना एवं तराई (उपयोग 40 एमएम मिट्टी) 32x0.40x0.40x0.10 = 0.512Cmt.	6.462	Cmt.	3430.40	Rs/Cmt.		22167
2.1.3	CSIDC RC	ग्रीस्ट्रेड आर.सी.सी. पोल क्रय लम्बाई 2.4 मीटर 10 प्रतिशत सपोर्टिंग पोल सहित CSIDC Items code-700002957	404	No.	419.00	Rs/No.		169222
		GST 18% -	404	No.	75.42	Nos		30460
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	404	No.	2.97	Nos		1199

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.4	RES SOR 413, 416 (a)	प्रोस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल गाड़ने हेतु खोद गये गड्ढों में 1:2:4 सी.सी. द्वारा पोल फिक्सिंग कार्य तराई सहित (उपयोग 20 एमएम गिट्टी) 32x0.40x0.40x0.30 = 1.536 Cmt.						
		(-) प्रोस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल साइज 32x0.30x 0.10x 0.10 = 0.096 Cmt.						
		Net-	18.17	Cmt.	4550.90	Rs/Cmt.		82709
2.1.5	CSIDC RC	2.1 मीटर ऊंचाई की 50x50mm छेद वाली 4mm diameter वाली जी.आई. तार से निर्मित चैनलिक लोहे की जाली क्रय						
		CSIDC Items code-700000162 (85x2.10=178.50sqm@4.5 kg/sqm = 803.25kg/ ha.)	10137.82	kg	74.00	Rs/Kg.		750199
		GST 18% -	10137.82	kg	13.32	kg		135036
		Inspection Charge 0.6% + 18% GST	10137.82	kg	0.52	kg		5272
2.1.6	LMR	चैनलिक लोहे की जाली प्रोस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल में 2mm diameter वाली जी.आई. तार/जी.आई. स्टेपल/जी.आई. यू नेल्स/स्टील पिन की सहायता से बांधकर टाईट करना।	2252.85	Sqm.	2.00	मा.दि/100 मीटर	4505.697	15545
2.1.7	RES SOR 1335 (a)	लोहे की चैनलिक जाली में 03 तह में ब्रश से इनामेल रोगन करना 85x2.10x2 = 357/10=35.70 Sqm.	450.57	Sqm.	163.30	Rs/Sqm.		73578
							योग :	1291789
2.1.8	Special Rate	ट्रकेवल प्वाण्डट से चैनलिक जाली/प्रोस्ट्रेस्ड आर.सी.सी. पोल/सीमेंट/रेत/गिट्टी कार्यस्थल तक परिवहन - सामग्री मूल्य का 2 प्रतिशत						25836
2.1.9		अन्य आकारिमक व्यय कुल व्यय का 1 प्रतिशत						13326
							फेन्सिंग कार्य पर व्यय :-	1330951
							प्रति रनींग मीटर फेन्सिंग कार्य पर व्यय	15658
							प्रति पौधा व्यय	13310

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य						
3.1	PCCF Job Rate 3.1.6	दूठ ड्रेसिंग-20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपिस प्रजाति के जीवित दूठ एवं पोलाई का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन	2.52	Hect.	9.75	मा.दिवस/हे.	25	8490.77775
3.2	PCCF Job Rate 1.2.2	क्षेत्र की सफाई 20 से.मी. गोलाई तक की अनुपयोगी कॉपिस देने वाली प्रजाति की आड़ी-टेढ़ी विकृत अधिम पौध की कटाई एवं दूठों की ड्रेसिंग तथा सफाई	6.31	Hect.	5.00	मा.दिवस/हे.	31.5525	10886
3.3	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेसिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (प्रथम वर्ष कार्य)	5.05	Hect.	30.00	मा.दिवस/हे.	151.452	52250.94
3.4	Special Rate CAMPA	क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी झाड़ियों एवं अनुपयोगी दूठों को खोदकर कार्य स्थल से बाहर हटाना ।	3.79	Hect.	50.00	मा.दिवस/हे.	189.315	65313.675
जड़भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								136941
4		रोपणी में पौधा तैयारी :-						
4.1	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	14514	Plants	66.00	रुपये/पौधे.		957933.9
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय								957933.9
5		रोपण क्षेत्र का उपचार						
5.2		स्टेकिंग कार्य :-						
5.2.1	PCCF Job Rate 1.4.3	3×3 मी. अंतराल में मिश्रित पौधा रोपण हेतु	12621	Pits	3.50	मा.दि/हजार	44.17	15240
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								15240
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					1262.1
5.4		गड़दों की खुदाई						
5.4.1	PCCF Job Rate 1.5.2.3	मिश्रित पौधा रोपण हेतु 3×3 मीटर की अन्तराल में 80×60×60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गड़दा खुदाई कार्य (क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम मुरुमी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	12621	Pits	12.00	मा.दि/सैकड़ा	1514.52	522509.4

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.2	Market Rate	गड़दों की 50 प्रतिशत मिट्टी परिवर्तन हेतु उपजाऊ मिट्टी परिचरन = 60x60x60=0.216 Cmt.x1000=216.00 Cmt./2	1363	Cum	325.00	रुगमे/घ.मी.		442997.1
रोपण उपचार एवं गड़दों खुदाई कार्य पर कुल व्यय								982008
6	6.1	PCCF Job Rate & RES SOR	भू-जल संरक्षण कार्य- क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार भू-जल संरक्षण संरचनाएं प्रस्तावित किया जावे (स्टेगर्ड कन्डूर ट्रेन्च, लूजबोल्डर चेकडेम, आदि निर्माण कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है)	12.62	Hect.	10000.00	रुपये/हे.	126210
भू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								126210
7			सिंचाई सुविधा का विकास प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से					
	7.1	Market Rate	भू-तल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	1.3		5500	प्रति बोर	6941.55
	7.2	Market Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट केसिंग सहित	1.3		137500	प्रति बोर	173538.75
	7.3	Market Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	1.3		440000	प्रति पंप	555324
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय								735804.3
8			अनुसंधान एवं विकास					
	8.1		प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect.	3000	रुपये/हे.	37863
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :								37863
	8.2		आस्था मूलक कार्य	12.62	Hect.	116968	रुपये/हे.	1476253.13
आस्था मूलक कार्य पर व्यय :								1476253
	8.3		अग्नि सुरक्षा					
	8.3.1	PCCF Job Rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 4 सेक्टर में विभाजित कर 3 मीटर चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी./है. की मान से)	1010	Mtr.	2.50	मा.दि./कि.मी.	2.5242 871
	8.4		अन्य व्यय					
	8.4.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण	LS				50484
	8.4.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS				48748
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय का योग								100103
कुल योग व्यय :-								5888858
प्रति पौधा व्यय								467

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
द्वितीय वर्ष (2025-26)								
2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
	2.1	Special Rate 30×45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्टी सहित)	14514	Plants	22.00	रूपये/पौधे		319311.3
	2.2	Special Rate 30×45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी प्रथम वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	1388	Plants	66.00	रूपये/पौधे		91628.46
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय								410939.76
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
	3.1	पौधा परिवहन						
	3.1.1	Market/Tender Rate 30×45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना	14514	Plants	22.00	रूपये/पौधे		319311.3
पौधा परिवहन पर व्यय :-								319311.3
4	4.1	पौधा रोपण						
	4.1.1	Special Rate पौधा रोपण कार्य 60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भराई सहित) 3.55 रोपण + 0.45 गड्ढा भराई प्रति मानव दिवस	12621	Plants	4.40	मा.दि/सैकड़ा	555.324	191586.78
रोपण कार्य पर व्यय :-								191586.78
5	5.1	रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
	5.1.2	Market Rate 60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु वर्मीकम्पोस्ट खाद का क्रय। (5 कि.ग्रा. प्रति गड्ढा)	63105	Kg.	11.00	रूपये/घ.मी.		694155
	5.2	डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
	5.2.1	Market Rate 60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) के मान से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	631	Kg	33.00	रूपये/किलो		20825
	5.3	नीम खली का क्रय						
	5.3.1	Market Rate 60×60×60 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मान से रोपण के समय उपयोग हेतु।	1893	Kg	44.00	रूपये/किलो		83298.6

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.4	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	38	Ltr.	1100.00	रुपये/लि.		41649.3
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Market Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 60 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम के मान से क्रय।	1893	Kg	33.00	रुपये/किलो		62473.95
5.3.6	Market Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, हार्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग।	12621	Plants	11.00	रुपये/पौधे		138831
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								1041232.85
5.4		निंदाई कार्य						
5.4.1	PCCF Job Rate 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात (जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में) एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित	12621	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	151.452	52250.94
5.4.2	PCCF Job Rate 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में प्रथम निंदाई के 20-25 दिन बाद माह अगस्त के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	252.42	87084.9
5.4.3	PCCF Job Rate 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में सितम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में की जावेगी। खाद प्रयोग सहित (तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किये जाने पर भू सतह पर बने कपिलरी दूटने से भूमि सतह की नमी लम्बे समय तक बनी रहती है इसलिए तृतीय निंदाई के साथ गुड़ाई किया जाना आवश्यक है)	12621	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	151.452	52250.94
निंदाई कार्य पर व्यय :-								191586.78
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								1743717.71
6		पानी सिंचाई कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	126	Time	1.820	मा.दि./सैकड़ा	229.7022	79247
6.1.2	Special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	12.62	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		25242
सिंचाई पर कुल व्यय								104489
7		अन्य कल्चरल आपरेशन						
7.1	Special Rate CAMPA	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र - वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए भिरों को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेनिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (द्वितीय वर्ष कार्य)	5.05	Hect	10	मा.दि./हे.	50.48	17416.98
8		अनुसंधान एवं विकास						
8.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना तथा अभिलेखीकरण	12621	No.	1.40	रूपये/नग		17669.4
8.2	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	2500.00	रूपये/हे.		31552.5
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :								49221.9
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.89	67926
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						12621
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								80547
10		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		मजदूरी/सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 5%						122499
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :								122499
योग ब्यय :-								2528832
प्रति पौधा व्यय								200
तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य (2026-27)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	107.3	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		66513
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								66513
2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
2.1	Special Rate	30×45 से.मी. पॉलीपाट में 10 प्रतिशत मृत पौध प्रतिस्थापन हेतु शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी एवं रखरखाव हेतु द्वितीय वर्ष व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधे)	1388	Plants	22.00	रुपये/पौधे		30542.82
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय								30542.82
3		रोपण क्षेत्र उपचार						
3.1		मृत पौध प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)						
3.1.1	PCCF Job Rate 1.5.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों के रोपण हेतु गडदा खोदाई 60 × 60 × 60 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	1262	Pits	10.50	मा.दि/सैकड़ा	132.5205	45720
3.1.2	Market/Tender Rate	पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 30×45से.मी.)	12621	Plants	22.00	रुपये/पौधे		277662
3.1.3	Market Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल प्रति पौधा की मात्रा से उपयोग	3.79	Ltr	1100.00	रुपये/लिटर		4164.93
3.1.4	PCCF Job Rate 4.10.2.3	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर खोदे गए 60× 60 सेमी साईज के गड्डों में शीर्ष एवं मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों का रोपण	1262	Plants	3.55	मा.दि/सैकड़ा	44.80	15458
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय								343004

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4.1	रासायनिक खाद एन.पी.के का क्रय						
	4.2.1	Market Rate रासायनिक खाद कय एन.पी.के 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु 150 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	1893.15	Kg	33.00	रुपये/किलो		62473.95
	4.2.2	Market Rate वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 200 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 03 बार उपयोग हेतु 600 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	7572.60	Kg	11.00	रुपये/किलो		83298.6
								145772.55
5	5.1	निंदाई कार्य						
	5.1.2	PCCF Job Rate 4.11.1.2 1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ मृत पौधों को बदलना, युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	12621	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	151.452	52250.94
	5.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	252.42	87084.9
	5.1.4	PCCF Job Rate 4.11.3.2 तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी। (थाला बनवाया जावेगा)	12621	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	151.452	52250.94
निंदाई कार्य पर ब्यय :-								191586.78
	5.1.5	special Rate रोपण क्षेत्र में औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु पौधा तैयारी (05 x 7 से.मी. पॉलीपोट में) औषधीय प्रजाति के स्थानीय प्रजाति के पौधों को वरीयता दी जावे जैसे - सतावर, बाईबिडेन, तिखुर, गिलोय, माहुल, सर्पगंधा एवं अडूसा आदि	13883	Plants	10.00	रु. प्रति पौधा		138831
	5.1.6	PCCF Norms 1.4.3 स्टेकिंग कार्य 3 x 3 मी. अंतराल पर	12621	Pits	3.50	मा.दि./हजार	44.1735	15240
	5.1.7	PCCF Norms 1.5.1.1 गड़दों की खुदाई -रोपण हेतु 3 मी. x 3 मी. अंतराल पर 30 से.मी. x 30 से.मी. x 30 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में गड़दा खुदाई कार्य	12621	Pits	3.00	मा.दि./सैकड़ा	378.63	130627
	5.1.8	Local Rate औषधीय प्रजाति के पौधों के रोपण के समय उपयोग हेतु वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट का क्रय (1 कि.ग्रा. वर्मी कम्पोस्ट/2 कि.ग्रा. कम्पोस्ट)	12621	kg	12.00	प्रति कि.ग्रा.		151452
	5.1.9	special Rate पौधा परिवहन - (08 X 10 से.मी. पॉलीपोट में तैयार किए गए औषधीय प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे तक पहुंचाना	13883	Plants	4.00	प्रति पौधा		55532
	5.1.10	PCCF Norms 4.10.2.1 पौधा रोपण - दोना पौधों को गड़दों तक पहुंचाना, आवश्यकता अनुसार कीटनाशक और खाद डालना पौधे के चारों तरफ सफाई करना एवं रोपण करना	12621	Plants	1.65	प्रति सैकड़ा	208.2465	71845

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3×3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
7.1.1	special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	113.59	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	206.732	71323
7.1.2	special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 15 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	126.21	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	229.7022	79247
7.1.3	special Rate	पम्प का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	12.62	Hect	2000.00	प्रति हेक्टे.		25242
सिंचाई पर कुल व्यय								175812
8		अन्य कल्चरल आपरेशन						
8.1	Special CAMPA Rate	Invasive Alien Species Removal - सघन क्षेत्र – वनक्षेत्र में स्थित Invasive Alien Species की जड़ को गैती से खोदकर निकालना एवं गुंथे हुए थिरो को खींचकर निकालना, निकालने के पश्चात् ड्रेगिंग कर सुरक्षित स्थान पर एकत्रित कर ढेर लगाना एवं सुखने के उपरांत सुरक्षित रूप से जलाना (तृतीय वर्ष कार्य)	5.05	Hect	3.00	मा.दि./हे.	15.1452	5225
8.2		एकलीकरण कार्य						
8.2.1	PCCF Job Rate 1.2.3	जीवित टूटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस को कटाई एवं सफाई कार्य	1.26	Hect	3.00	मा.दि./हे.	3.7863	1306
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय								6531
9		अनुसंधान एवं विकास						
9.1	Special Rate	प्रशिक्षण – नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रु.पये/हे.		37863

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रूपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :-								64367.1
10		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
10.1	special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
10.2	special Rate	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						12621
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :-								80547
11		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
11.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 10%						214795
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								214795
योग व्यय :-								2362790
							प्रति पौधा व्यय	187
चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य (2027-28)								
1	1.1	फेंसिंग मरम्मत कार्य						
	1.2	PCCF Job Rate & RES SOR फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	53.64	Rm.	620.00	रूपये/र.मी.		33256
2	2.1	निंदाई						
	2.1.2	PCCF Job Rate 4.11.1.2 1. प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में में की जावेगी जिसके साथ निधारित मात्रा में युरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	12621	Plants	1.20	मा.दि/सैकड़ा	151.452	52250.94
	2.1.3	PCCF Job Rate 4.11.2.2 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.दि/सैकड़ा	252.42	87084.9
	2.1.4	Market Rate वर्मी कम्पोस्ट खाद क्रय 250 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 02 बार उपयोग हेतु 500 ग्राम प्रति पौधा के मान से क्रय	6311	Kg	11.00	रूपये/किलो		69415.5
	2.1.5	Market Rate रासायनिक खाद कय एन.पी.के बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग	1262	Kg	33.00	रूपये/किलो		41649.3

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.6	PCCF Job Rate 4.11.1.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में प्रथम निंदाई/गुड़ाई एक मीटर व्यास में की जावेगी जिसके साथ निर्धारित मात्रा में यूरिया तथा जैविक खाद डाला जाएगा। (अर्धचन्द्राकार थाला बनवाई एवं खाद प्रयोग सहित)	12621	Plants	1.20	मा.दि./सैकड़ा	151.452	52250.94
2.1.7	PCCF Job Rate 4.11.2.2	औषधीय प्रजाति के रोपित पौधों में द्वितीय निंदाई/गुड़ाई 1 मीटर चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	12621	Plants	2.00	मा.दि./सैकड़ा	252.42	87084.9
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								389736.48
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								389736
5								
6		पानी सिंचाई कार्य						
6.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 05 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धार बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरनी रोपण 2017 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3x3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था तदनुसार प्रति 1000 पौधों में एक बार सिंचाई हेतु 1.82 मानव दिवस श्रम की आवश्यकता होगी।						
6.1.1	Special Rate	माह अप्रैल से जून तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	113.59	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	206.732	71323
6.1.2	Special Rate	माह नवम्बर से मार्च तक 10 दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई	126.21	Times	1.820	मा.दि./सैकड़ा	229.7022	79247
6.1.3		पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	12.62	Hect.	2000.00	प्रति हेक्टे.		25242
पानी सिंचाई पर व्यय								175812
7		अनुसंधान एवं विकास						
7.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडिओग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रूपये/हे.		37863
7.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रूपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:-								64367.1

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								64367.1
7		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
7.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926.222
7.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9465.75
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								77392
8		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
8.1		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि 20%						67201.7766
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								67201.7766
योग व्यय :-								315008
प्रति पौधा व्यय								25

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य (2029-30)

1		फसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)	107.28	Rm.	620.00	रुपये/रमी.		66513
2	2.1	कटाई सफाई कार्य						
2.1.1	PCCF Job Rate 1.2.4	जीवित टूटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	12.62	Hect	3.00	मा.दि/हे.	37.863	13062.735
अन्य कल्चरल अपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय								13062.735
3		अनुसंधान एवं विकास						
3.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रुपये/हे.		37863
3.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								64367.1
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 है. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
4.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9465.75
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								77392
5		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
5.1		मजदूरी/सामग्री की दरों में आकस्मिक वृद्धि 25%						55330
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								55330
योग व्यय :-								276665
प्रति पौधा व्यय								22
सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य (2030-31)								
1		फेन्सिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेन्सिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	53.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		33256
फेन्सिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								33256
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रुपये/हे.		37863
2.2	special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की लंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								64367.1
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						6310.5
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :-								74237
4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
4.1		सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 35%						60152
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								60152
योग व्यय :-								232012
प्रति पौधा व्यय								18
नवम वर्ष रखरखाव कार्य (2032-33)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
1.1	PCCF Job Rate & RES SOR	फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	53.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		33256
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय								33256
2		अनुसंधान एवं विकास						
2.1	Special Rate	प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रुपये/हे.		37863
2.2	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								64367.1
3		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
3.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का रकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
3.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						5553.24

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि./रु.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								73479
4		सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
	4.1	सामग्री/मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि 40%						69504
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								69504
योग ब्यय :-								240607
प्रति पौधा व्यय								19
दशम वर्ष रखरखाव कार्य (2033-34)								
1		फेंसिंग मरम्मत कार्य						
	1.1	PCCF Job Rate & RES SOR फेंसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)	53.64	Rm.	620.00	रुपये/र.मी.		33256
फेंसिंग मरम्मत पर व्यय								33256
2	2.1	special Rate रोपण क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त आवश्यकतानुसार वनवर्धनिक कार्य प्रस्तावित किया जावे। (जैसे Invasive Alien Species का उन्मूलन, क्षेत्र सफाई, एकलीकरण आदि)	12.62	Hect	25.00	मा.दि/हे.	315.525	108856.125
अन्य कल्चरल आपरेशन कार्य:-								108856.125
3		अनुसंधान एवं विकास						
	3.1	Special Rate प्रशिक्षण - नर्सरी, रोपण, वनवर्धनिक कार्य, वन सुरक्षा आदि से संबंधित प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, फोटो एवं विडियोग्राफी, विशेषज्ञ परामर्श आदि।	12.62	Hect	3000.00	रुपये/हे.		37863
	3.2	special Rate अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह जून, अक्टूबर एवं जनवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना एवं अभिलेख तैयार करना	12621	Plants	2.10	रुपये/पौधा		26504.1
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:								64367.1
4		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	4.1	Special Rate सुरक्षा श्रमिक 20 हे. तक एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक (रोपण क्षेत्र का एकबा 20 हेक्टेयर से अधिक होने पर प्रत्येक 20 हेक्टेयर में एक श्रमिक कार्य पर नियोजित किया जावे)	0.63	12	26.00	मा.दि/माह	196.8876	67926
	4.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड, गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						9465.75
सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य पर व्यय :								77392

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

24 DEC 2014

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 3-23/2010/12
प्रति,

✓ आवेदक मेसर्स श्री बजरंग,
पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड,
खसरा क्रमांक 2/3, ग्राम गोंदवारा,
उरला इण्डस्ट्रीयल काम्पलेक्स,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्र. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति प्रस्तुत करने बाबत।

---:0:---

मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर स्थित वन कक्ष क्र. 252, 267, 268 एवं 269 का कुल रकबा 57.00 हेक्टर (वन भूमि) क्षेत्र पर खनिज लौह अयस्क का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार, खान मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5/96/2010-M.IV, नई दिल्ली, दिनांक 13.4.2011 द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5(1) के तहत पूर्वानुमोदन प्रदाय किया गया है।

2/ आवेदित क्षेत्र जिसके अक्षांश-देशांश एवं वन कक्ष क्रमांक का विवरण निम्नानुसार है:-

जिला, वनमण्डल, वनरेंज तथा ग्राम	आवेदित क्षेत्र का विवरण					
	वन कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हेक्टर)	आवेदित क्षेत्र में से खनिपट्टा स्वीकृति हेतु उपलब्ध रकबा (हेक्टर)	आवेदित क्षेत्र के कोआर्डिनेट्स टोपोशीट क्र. 65 E/7		
1	2	3	4	बिंदु	देशांश	अक्षांश
				5	6	7
नारायणपुर,	252	20.00	20.00	A	81° 16' 58.6"	19° 24' 43.9"
नारायणपुर,	267	20.00	20.00	B	81° 17' 12.5"	19° 24' 51.4"
छोटेडोंगर	268	14.00	14.00	C	81° 17' 31.9"	19° 24' 20.4"
	269	3.00	3.00	D	81° 17' 17.6"	19° 24' 12.5"
		57.00	57.00			

3/ आवेदित क्षेत्र राजस्व वन भूमि है। अतः उपर्युक्त उपलब्ध क्षेत्र पर खनिपट्टा स्वीकृत किये जाने के पूर्व भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त की जानी होगी तथा पूर्वोक्त क्षेत्र का अनुमोदित मायनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना होगा।

4/ आवेदित क्षेत्र संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतएव प्रकरण को "समथा निर्णय" के परिप्रेक्ष्य में सचिव स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 15.10.2014 में तथा मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक दिनांक 25.11.2014 में अनुशंसा/अभिमत हेतु रखा गया था।

समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि यदि आवेदक द्वारा खनिपट्टा के अनुबंध में निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त/कंडिका जोड़े जाने बाबत स्वैच्छिक सहमति दी जाती है तो उसके पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृत किए जाने हेतु विचार किया जाए :-

- 1 खनिपट्टाधारी द्वारा अकुशल गैर तकनीकी प्रकृति के कार्य हेतु स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र के भीतर प्रभावित आदिवासी निवासियों अथवा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले निवासियों के परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, यदि खान में उपलब्ध रोजगार अधिक है तो खान क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों की बढ़ती दूरी के कम में प्रभावित निवासियों को रोजगार उपलब्धतानुसार प्रदाय किया जाएगा।
- 2 खनिपट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आवेदित वन क्षेत्र में उत्पादित होने वाले वनोपज का कलेक्टर द्वारा निर्धारित अनुमानित मूल्य के आधार पर प्रोरेटा प्रति परिवार वार्षिक आय की राशि जिला कलेक्टर के पास जमा की जायेगी। तत्पश्चात यह राशि प्रभावित परिवार के मुखिया (कर्ता) के नाम पर ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- 3 खनिपट्टा की स्वीकृति से सीधे तौर पर प्रभावित ग्राम/ग्राम पंचायत तथा पट्टा क्षेत्र में मायनिंग से प्राप्त खनिज की रायल्टी के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का व्यय सामुदायिक विकास के कार्यों यथा पर्यावरण सुधार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि-आदि पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन पर किया जायेगा। उक्त राशि कंपनी के द्वारा कंपनी अधिनियम में प्रावधानित CSR में व्यय की जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।
- 4 खनिपट्टाधारी पर्यावरण संरक्षण हेतु मायनिंग लीज के क्षेत्र में किए जाने वाले वृक्षारोपण में किस प्रजाति के वृक्ष रोपित किए जाए, इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से राय प्राप्त की जाएगी।
- 5 खनिपट्टाधारी द्वारा मायनिंग लीज क्षेत्र से खनन किए जाने वाले खनिज आयरन और का उपयोग आवेदक कंपनी के लौह अयस्क आधारित संयंत्र में कैस्टिव यूज में किये जाने बाबत निम्नानुसार कंडिका खनिपट्टा अनुबंध में जोड़ी जाएगी:-

" The entire ore produced in the mining operation shall be used exclusively for own consumption in iron or steel making and cannot be either sold in India or exported to other countries."

5/ मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड (पूर्व में श्री बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड) के पक्ष में जिला व तहसील नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर के पैरा-2 की तालिका में उल्लेखित क्षेत्र पर स्वीकृत किए जाने वाले मायनिंग लीज के अनुबंध में पैरा-4 अनुसार अतिरिक्त शर्त/कंडिकाएं जोड़े जाने हेतु सहमति देने के लिए आवेदक कंपनी को विभागीय पत्र दिनांक 10.12.2014 द्वारा लेख किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक कंपनी मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 11.12.2014 द्वारा अपनी स्वैच्छिक सहमति उपलब्ध कराई है।

6/ आवेदित क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में असफल रहने के फलस्वरूप यदि कंपनी द्वारा तैयार कराया गया मायनिंग प्लान निष्फल हो जाता है तो इसका कोई उत्तरदायित्व राज्य शासन पर नहीं होगा एवं इस संबंध में कंपनी द्वारा राज्य शासन के विरुद्ध कोई दावा (Claim) मान्य नहीं किया जाएगा।

7/ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने तथा मायनिंग प्लान तैयार कराये जाने के लिए जारी की जा रही इस अनुमति से आपको उपर्युक्त आवेदित क्षेत्र पर प्रवेश करने या खनन कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

8/ यदि आवेदक कंपनी को उपर्युक्त शर्तें मान्य हो तो पैरा-2 की तालिका में दर्शित क्षेत्र के लिए इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 06 माह की अवधि के भीतर इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स से माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर इस विभाग को प्रस्तुत करें एवं साथ ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत आवश्यक अनुमति एवं खनन कार्य के लिए नियमानुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

संलग्न :-मानचित्र

(के०डी० कुंजाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

खनिज साधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक

पृ०क्रमांक एफ 3-23/2010/12

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. कंट्रोलर जनरल, भारतीय खान ब्यूरो, सेकेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
3. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, सेकेण्ड फ्लोर, ए ब्लॉक, इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर, (महाराष्ट्र)।
4. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, व्यवसायिक परिसर, कबीर नगर, छ.ग. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, रायपुर, (छ.ग.)।
5. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, (छ.ग.)।
6. कलेक्टर, जिला-नारायणपुर, (छ.ग.)।
7. नोडल आफिसर, मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर, (छ.ग.)।
8. वन मंडलाधिकारी, वन मंडल नारायणपुर, जिला नारायणपुर, (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. गार्ड फाईल रजिस्टर

सही/-

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

खनिज साधन विभाग

